निर्माण मजदूरों की
राष्ट्रीय अभियान समिति

बी-19, सुभावना निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली-110034

फोन : कार्यालय : 27872342 निवास : 27013523, 27022243 मो. : 9810810365 ई-मेल : ncccl2010@gmail.com

संयोजक	संस्थापक चेयरमैन	दक्षिण क्षेत्रीय संचालक	समन्वय
आर. वेंकटरमणी	न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर	आर. गीता	सुभाष भटनागर
वरिष्ठ एडवोकेट-सुप्रीम कोर्ट	भूतपूर्वक न्यायाधीश - सुप्रीम कोर्ट	चेन्नई, तमिलनाडु	एडवोकेट

24—01—2019

प्रति,
याचिका समिति,
राज्य सभा
संसद भवन, नई दिल्ली

देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 10 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिकों व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की तरफ से NCC-CL (निर्माण मजदूरों के केंद्रीय कानून के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति) यह याचिका प्रस्तुत करती है। हम आभारपूर्वक आपको याद दिलाना चाहते हैं कि पूर्व में एक संसदीय याचिका समिति ने ही यह अनुशंसा की थी कि निर्माण श्रमिकों के अधिकारों व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए एक कानून बनना चाहिये।

हम 25 जुलाई 1989 को लोकसभा की बारहवीं याचिका समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अंश उद्धृत करना चाहते हैं जो सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए प्रस्तावित कानून पर मतदान के ठीक पहले प्रस्तुत की गयी थी—

''प्रस्तावित कानून न सिर्फ एक ऐसा समावेशी कानून हो जो निर्माण श्रमिकों की समस्त समस्याओं व अधिकारों का ध्यान रखे बल्कि यह बिना किसी देरी के कानून की किताबों में शामिल हो।...*NCC-CL* द्वारा प्रस्तावित कानून के उद्देश्यों व अभिप्राय पर दो मत नहीं हो सकते।...अब यह सरकार के ऊपर है कि वो ऐसा कानून बनाये जो अपरोक्त सभी प्रावधानों (त्रिपक्षीय निर्माण बोर्ड... इत्यादि) को समाहित करे। **यह समिति, अतएव यह सिफारिश करती है कि राज्यसभा में लम्बित कानून को सरकार वापस ले व एक नया समावेशी कानून लाया जाये जो मजदूर वर्ग के अब तक उपेक्षित समूह की लम्बे समय से अपेक्षित मांगों को पूरा करे।''**

उक्त रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि—

''चूंकि निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने इस क्षेत्र में पथ प्रदर्शक का काम किया है और समस्याओं के गहन अध्ययन के बाद कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं अतः यह उचित ही होगा कि *NCC-CL* के प्रतिनिधियों को इस विषय पर चर्चा व सलाह हेतु मंत्रालय की ओर से बुलाया जाये। *NCC-CL* जिसकी अध्यक्षता जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर जैसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधियों को इस कानून के उद्देश्यों व पहुँच के बारे में चर्चा करने के लिए अब भी बुलाया जा सकता है।''

हम निवेदन करना चाहते हैं कि —

1985 से 1996 के ग्यारह वर्शों के लम्बे और सतत् अभियान के बाद — जिसका नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस वी. आर. कृष्णा अय्यर ने किया— भारत की संसद ने 1996 में निम्न दो कानून पारित किये। यानि आज से बाईस साल पूर्व ये दो समावेशी कानून पारित किये गये जो कि निर्माण कार्य की परिस्थितियों, सुरक्षा व सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित हैं—

(i) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(ii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996

2. इन दो कानूनों का क्रियान्वयन अगले 10 वर्षों तक बहुत धीमा रहा और मात्र. छह राज्यों तक सीमित रहा फलतः *NCC-CL* ने यह तय किया कि इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली जाये व उनके निर्देश लिए जायें ताकि केंद्र व राज्य सरकारें इन कानूनों को उनके मूल स्वरूप में लागू करें।

3. सर्वोच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के परिणामस्वरूप (जो इस जनहित याचिका की सुनवाई के पहले छह वर्षों में दिये गये) राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में *BOCW* अधिनियम 1996 के अनुसार नियम बनाये गये, त्रिपक्षीय बोर्डों का गठन हुआ, निर्माण श्रमिकों की पहचान व पंजीकरण शुरू हुआ, कल्याण कोष (सेस) इकट्ठा किया गया व निर्माण–श्रमिकों को विभिन्न फायदे पहुंचाये गये– वृद्धावस्था पेंशन, घर बनाने के लिए ऋण व अनुदान, सामूहिक बीमा, बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान, चिकित्सा खर्च का पुनर्भुगतान, मातृत्व लाभ का वितरण। यह सभी कार्य शेष 30 राज्यों में भी शुरू हुए।

4. जून 2017 तक, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा दाखिल शपथपत्रों के अनुसार पूर्व में अनुमानिनत 7.43 करोड़ निर्माण श्रमिकों में से 2.78 करोड़ निर्माण श्रमिकों (37%) का पंजीकरण किया गया है। 37,483 करोड़ रु. कल्याण कोष (सेस) के रूप में एकत्रित किये गये हैं और 9.49 करोड़ रु. प्रशासनिक व अन्य कल्याणकारी कार्यों पर खर्च हुए हैं।

5. उपरोक्त जानकारी–पंजीकरण, कल्याण कोष एकत्रीकरण, व खर्चों का ब्यौरा–परिशिष्ट–1 में संलग्न है।

6. सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लगातार 12 वर्षों तक 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के त्रिपक्षीय *BOCW* बोर्ड के क्रियाकलापों की जो देखरेख की गयी व न्याय सलाहकार (एमिकस क्यूरी) की सलाह के अनुसार जो कार्ययोजना बनायी गयी, *NALSA* द्वारा जो सलाह दी गयी व केंद्रीय अंकेक्षण ब्यूरो *(CAG)* के अंकेषण के फलस्वरूप इन 36 में से अधिकतर राज्यों में त्रिपक्षीय बोर्ड का ढांचा काफी सुदृढ़ बन गया है। इसकी विस्तृत जानकारी अभी आना बाकी है। सर्वोच्च न्यायालय के इन सतत् प्रयासों का हम धन्यवाद देते हैं।

7. 19 मार्च 20.18 को सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें निम्न 4 विशिष्ट आदेश पारित किये जिसमें केंद्र सरकार व राज्य व केंद्र शासित सरकारों के त्रिपक्षीय बोर्डों से कार्यवाही की अपेक्षा की गयी कि–

   (i) राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय **निर्माण संस्थाओं व निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण की व्यवस्था को सुदृढ करें।**

   (ii) राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कल्याण **कोष इकट्ठा करने की व्यवस्था** स्थापित करें व उसे **सुदृढ करें**।

   (iii) केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक **समेकित आदर्श कल्याण योजना** बनाए।

   (iv) BOCW बोर्डों के **सामाजिक अंकेक्षण का ढांचा तैयार किया जाये** जैसे *CAG* के निर्देशानुसार नरेगा कानून में बनाया गया है।

8. सर्वोच्च न्यायालय ने 4 अक्टूबर 2018 को सुनवाई खत्म करने तक श्रम मंत्रालय को 6 माह से अधिक समय दिया जिसमें उन्हें एक **कार्ययोजना** बनानी थी, **आदर्श कल्याण योजना** व **सामाजिक अंकेक्षण** का ढांचा तैयार करना था।

9. केंद्रीय श्रम सचिव ने 30 अक्टूबर 2018 को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को एक पत्र जारी किया (परिशिष्ट–2) जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, **आदर्श कल्याण योजना व कार्य योजना लागू करने का निर्देश दिया** गया।

10. इन उपरोक्त अनुशंसाओं/सिफारिशों का विरोध करते हुए श्रम मंत्रालय ने **सामाजिक सुरक्षा व कल्याण संबंधी लेबर कोड–2018** का जो तृतीय स्वरूप जारी किया उसके अनुसार BOCW अधिनियम 1996 को समाप्त करना प्रस्तावित है। (परिशिष्ट–3 देखें)

11. निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय समिति NCC-CL निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधित्व कर रही अनेकों संस्थाओं व अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों ने (ड्राफ्ट) श्रम कानून (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) 2018 के तृतीय स्वरूप व चतुर्थ श्रम कानून (व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियाँ)–2018 का विरोध करते हुए **इस याचिका** पर हस्ताक्षर किये हैं। **इन उपरोक्त दो कानूनों के लागू करने का अर्थ है–BOCW कानून** व अन्य 21 श्रम कानूनों को **समाप्त कर दिया जाये**, जो भारत के श्रमिकों के लम्बे संघर्षों के बाद लागू हुए थे। BOCW कानून की समाप्ति से सभी BOCW बोर्डों व अन्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बोर्डों के बन्द करना पड़ेगा।

12. NCC-CL असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संगठन व स्वयं असंगठित क्षेत्र के मजदूर–ड्राफ्ट लेबर कोड (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण)–2018 के तृतीय स्वरूप के सख्त खिलाफ हैं क्योंकि–

    (a) ये प्रावधान कि राज्य स्तर पर **केवल एक कल्याणकारी बोर्ड** होगा एवं राष्ट्रीय स्तर पर सभी श्रेणियों के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का एक बोर्ड होगा **जिसका अर्थ है कि सभी BOCW बोर्ड व असंगठित क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों के मजदूरों के बोर्ड भंग कर दिये जायेंगे जिससे लाखों पंजीकृत श्रमिकों, पेंशनरों व नये पंजीकृत श्रमिकों का बहुत नुकसान होगा।**

    (b) राज्य व राष्ट्रीय स्तर का यह एक बोर्ड भी **मात्र सलाहकारी** बोर्ड ही होगा।

    (c) ड्राफ्ट कोड के अनुसार श्रमिकों का पंजीकरण श्रम विभाग या श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा– यह **पंजीकरण जिला प्रशासन के द्वारा** किया जायेगा।

    (d) प्रस्तावित पंजीकरण व्यवस्था प्रतिगामी होगी क्योंकि इसमें **14 वर्ष से ऊपर के बच्चों का भी पंजीकरण** हो सकेगा इसमें व्यवसाय का सबूत देना होगा, गरीबी रेखा से ऊपर है या नीचे ये बताना होगा (APL/BPL) और इस व्यवस्था में मजदूर यूनियनों/संगठनों को बाहर रखा गया है।

    (e) कोई क्रियान्वयन करने वाली व्यवस्था नहीं है अतः यह कार्य निजी हाथों में चला जायेगा जिससे **श्रमिकों को लाभ वितरण के कार्य का** पूरी तरह से **निजीकरण हो जायेगा**।

    (f) यह लेबर कोड (कानून) केंद्रीय सरकार को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी निकाय को पैसा/योगदान जमा करने से छूट दे सकती है जो BOCW कानून 1996 के तहत सम्भव नहीं है।

    (g) यह लेबर कोड (कानून) एक तरफ **कृशि मजदूरों और घरेलू कामगारों को कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं देता** और दूसरी ओर **कई वेलफेयर फंड** संसद के द्वारा कानूनों को निरस्त करने से पहले ही **प्रशासनिक आदेश द्वारा बन्द कर दिए** गए हैं।

13. अतः NCC-CL असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के संगठन एवं खुद असंगठित क्षेत्र के मजदूर याचिका समिति से यह प्रार्थना करते हैं कि उपरोक्त प्रस्तावित **दोनों लेबर कोड्स (कानूनों) को वापस लिया जाये, एवं BOCW कानून, BOCW श्रमिक कल्याण बोर्ड** व **असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के अन्य बोर्डों को खत्म होने से बचाया जाये।**

14. और अन्ततः NCC-CL यह निवेदन करना चाहती है कि हजारों निर्माण श्रमिकों के हस्ताक्षरों वाली इा याचिका पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय व उपयुक्त उपाय किये जायें। हम

आपको यह याद दिलाना चाहेंगे कि हम–निर्माण श्रमिक–लोकसभा के हर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का महत्त्वपूर्ण समूह हैं, खासकर शहरी व अर्द्धशहरी इलाकों में।

अतः हम याचिका कर्ता उपरोक्त स्थितियों के मद्देनजर यह प्रार्थना करते हैं कि याचिका समिति ऊपर सुझाए अनुरोध अनुसार संसद को अनुशंसा करे।

NCC-CL के प्रतिनिधियों को आपके समक्ष प्रस्तुत होने का व अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाये तो हम आपके आभारी होंगे।

NCC-CL देश के 10 करोड़ निर्माण श्रमिकों की ओर से आपको धन्यवाद देती है और आशा करती है कि हमारी इस याचिका पर पूरा ध्यान दिया जायेगा।

याचिका कर्त्ता

क्रमांक	नाम	काम	मोबाइल	हस्ताक्षर

क्रमांक	नाम	काम	मोबाइल	हस्ताक्षर